न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2051–दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–3–13 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक 129/निग./10–11.

———

किशन कुमार मारवाड़ी तनय स्व. श्री सीताराम मारवाड़ी
निवासी बिहारी चौका सतना ——— आवेदक

विरूद्ध

1– योगेन्द्र पाल उर्फ रवि मोगिया तनय सव. श्री गोविंदराम
2– जितेन्द्र पाल उर्फ चन्नी मोगिया तनय सव. श्री गोविंदराम
3– महेन्द्र पाल उर्फ मन्नी मोगिया तनय सव. श्री गोविंदराम
4– प्रवीन पाल उर्फ पप्पी मोगिया तनय सव. श्री गोविंदराम
सभी निवासी पुराना पावर हाउस के पास
सतना वार्ड नं. 41 तहसील रघुराजनगर
जिला सतना म.प्र. ——— अनावेदकगण

———

श्री हेमकुमार अग्निहोत्री, अधिवक्ता, आवेदक।
श्री बृजेन्द्र. पाण्डेय, अधिवक्ता, अनावेदकगण ।

———

:: **आदेश** ::

(आज दिनांक 04 मार्च 2014 **को पारित)**

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 129/निग./10–11 में पारित आदेश दिनांक 22–3–13 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 15–4–11 द्वारा प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया । इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय में कार्यवाही प्रारंभ हुई । कार्यवाही के दौरान तहसीलदार ने दिनांक 18–7–11 को आदेश पारित करते हुए राजस्व अभिलेखों में अनावेदकों के पिता गोविंदराम मोगिया का नाम भूस्वामी कॉलम में दर्ज करने के आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने निगरानी अपर कलेक्टर सतना के न्यायालय में

पेश की जिसमें उन्होंने दिनांक 5–12–11 को आदेश पारित करते हुए निगरानी स्वीकार की एवं तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19–2–09 तथा एस.डी.ओ. के आदेश दिनांक 15–4–11 के पालन में कार्यवाही कर निर्णय हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों न अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15–4–11 के अनुसार रिओपन किया गया था । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से स्पष्ट है कि उनके द्वारा तहसीलदार को राजस्व अभिलेखों की पूर्व प्रविष्टियों को परिवर्तित करने अथवा पूर्ववत करने का निर्देश नहीं दिया गया है बल्कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19–2–09 में दिए गए निर्देशानुसार आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था। ऐसी स्थिति में तहसीलदार का अंतरिम आदेश दिनांक 18–7–11 विधि विरूद्ध है जिसे अपर कलेक्टर ने निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है । किंतु अपर आयुक्त ने विधि के विपरीत त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है जो स्थिर रखने योग्य नहीं है ।

यह तर्क दिया गया है कि अपर कलेक्टर द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों व कानूनी बिंदुओं पर विचार करते हुए सकारण आदेश पारित किया गया है किंतु अपर आयुक्त ने कानूनी बिंदुओं पर बिना विचार किए त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है । उक्त आधार पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4– अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तहसील न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उनका आदेश परस्पर विरोधाभाषी है क्योंकि एक ओर आदेश के चरण 5 में उनके द्वारा उनके समक्ष विवादित आलोच्य आदेश को अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय व अपीलीय न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों

के परिपालन में साक्ष्य सुनवाई की विधि अनुसार कार्यवाही कर प्रकरण का संहिता के प्रावधानानुसार अग्रिम निराकरण करें । वहीं दूसरी ओर अपर आयुक्त ने अपने आदेश के चरण 7 में अपर कलेक्टर सतना के आदेश को निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की गई है । अपर आयुक्त के आदेश से यह भी स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा प्रकरण में विवादित बिंदु कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 18–7–11 को दिए गए अंतरिम आदेश जिसमें उन्होंने राजस्व अभिलेखों में अनावेदकों के पिता गोविंदराम मोगिया का नाम भूस्वामी कॉलम में दर्ज करने के आदेश दिए गये हैं वे विधिसम्मत हैं या नहीं इस संबंध में भी कोई विवेचना नहीं की गई है और इस बिंदु पर उनका आदेश मौन है । अतः अपर आयुक्त का आलोच्य आदेश स्थिर रखने योग्य प्रतीत नहीं होता है ।

परिणामतः अपर आयुक्त का आलोच्य आदेश दिनांक 22–3–13 निरस्त करते हुए प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए बोलता हुआ आदेश पारित करें ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर